>

Title: Need to allocate coal blocks for Kalisindh and Chhabra Thermal Power plants in Rajasthan.

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (दौसा): वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जून, 2007 में 2 X 600 मेगावाट कालीसिंध यूनिट 1 एवं 2 एवं 2 X 250 मेगावाट छबड़ा सब-क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट्स को कोयले की आपूर्ति हेतु " परसा ईस्ट व केन्टे बासन " कोल ब्लॉक्स का आवंटन किया गया। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इन कोल ब्लॉक्स के " नो गो एरिया " में स्थित होने के कारण इसकी पर्यावरण स्वीकृति लंबं समय से अपेक्षित थी। केन्द्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय के इन ब्लॉक्स की पर्यावरण स्वीकृति को इस शर्त पर दी है कि इन कोल ब्लॉक्स से प्राप्त कोयले से सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित प्रोजेक्ट्स को कोयले की आपूर्ति की जायेगी। अतः इस कोल ब्लॉक से प्राप्त कोयले की आपूर्ति 2 X 600 मेगावाट कालीसिंध यूनिट 1 व 2 एवं 2 X 250 मेगावाट छबड़ा सब- क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट्स के स्थान पर 2 X 660 मेगावाट सूरतगढ़ एवं 2 X 660 मेगावाट छबड़ा सुपर -किटिकल थर्मल प्रोजेक्ट्स को की जायेगी। अतः 2 X 600 मेगावाट कालीसिंध यूनिट 1 व 2 एवं 2 X 250 मेगावाट छबड़ा सब- क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट्स को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं है।

राजस्थान सरकार ने 2 X 660 मेगावाट सूरतगढ़ एवं 2 X 660 मेगावाट छबड़ा सुपर - क्रिटिकल थर्मल प्रोजेक्ट्स एवं 12वीं योजना के अंतर्गत राज्य क्षेत्र सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट्स को कोयले की आपूर्ति हेतु गो एरिया में स्थित तीन कोल ब्लॉक्स शेरबंद-बेसी एवं भालूमुण्डा, मांड रायगढ़ (छत्तीसगढ़) तथा पछवाड़ा साउथ, राजमहल (झारखंड) के आवंटन हेतु को कोयला मंत्रालय में आवेदन किया है। इन तीनों ब्लॉक्स के आवंटन से 2 X 660 मेगावाट सूरतगढ़ एवं 2 X 660 मेगावाट छबड़ा सुपर - क्रिटिकल थर्मल प्रोजेक्ट्स एवं 12वीं योजना के अंतर्गत राज्य क्षेत्र के सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट्स को कोयले की अपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

राजस्थान सरकार ने फरवरी, 2009 में बांसवाड़ा में आई.पी.पी. के अंतर्गत (केस-2टैरिफ बेस्ड प्रतिस्पर्धात्मक निविदा) पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने हेतु स्वीकृति जारी की है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अगस्त, 2010 में इन प्रोजेक्ट्स को दीर्घावधि कोल लिंकेज की स्वीकृति हेतु कोयला मंत्रालय को अपनी अनुशंसा भी प्रेषित कर दी है। बांसवाड़ा में स्थापित इस प्रोजेक्ट हेतु सभी आवश्यक स्वीकृतियां एवं निष्पादन संबंधी तैयारियां पूर्ण कर ली है, किंतु लांग टर्म कोल लिंकेज/कोल ब्लॉक के आवंटन के अभाव में पावर प्रोजेक्ट डेवलपर का चुनाव केस-2 टेरिफ बेस्ड प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के तहत नहीं किया जा सका है। 12वी पंचवर्षीय योजना की विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयले के लॉग टर्म लिंकेज के आवंटन हेतु कोयला मंत्रालय की स्टैंडिंग लिंकेज कमेटी (लॉग टर्म) की बैठके बुलाई जाये।

राज्य क्षेत्र की सूरतगढ़ (यूनिट 7 एवं 8) छबड़ा (यूनिट 5 एवं 6) एवं बांसवाड़ा में आई.पी.पी. की पर्यावरण स्वीकृति के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार को आवेदन कर दिया गया है। केन्द्र उनकी पर्यावरण स्वीकृति जारी करे।

अतः कोयला मंत्रालय से 2 X 600 मेगावाट कालीसिंध यूनिट 1 एवं 2 एवं 2 X 250 मेगावाट छबड़ा सब- क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए तीन कोल ब्लॉक्स आवंटित किए जायें। शेरबन्द-बेसी, मांड रायगढ़ (छत्तीसगढ़) भालूमुण्डा, मांड रायगढ़ (छत्तीसगढ़), पछवाड़ा साउथ, राजमहल (झारखंड), बांसवाड़ा सुपर क्रिटिकल आई.पी.पी. के लिए कोयले के लॉग टर्म लिंकेज का आवंटन किया जाये। केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय कोल ब्लॉक्स/सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट्स की पर्यावरण की स्वीकृति जारी करे।